

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 391/18
(आरसीएमएस संख्या 2018/00571)

निर्णय दिनांक:-21-01-2020

1. कान्ता देवी पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी गांव भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 28-05-1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-



1. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक अपीलांट
श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 28-05-2009 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 3 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 71/01 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने कारण आवंटन की

कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांत को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांत ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांत आज दिनांक को भी वादगत भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांत का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये तथा साथ ही माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 1577/2018 उनवान विशालसिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 13-09-2018 की प्रतियाँ भी प्रस्तुत की गईं।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-05-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक 29-11-18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांत का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

20/11/18
राजस्थान राजस्व अपील अधिकार
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-05-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 29-11-2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते 3 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 71/01 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाने के कारण निरस्त कर दिया गया।



इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 15-05-1999 नोटिस जारी होना अंकित है, उक्त नोटिस अपीलांट के रहवास भामटसर तहसील नोखा के पते पर जारी किया गया है तथा दिनांक 28-05-1999 को तहसील पूगल में उपस्थित होने के लिये अपीलांट को पाबन्द किया गया है। इतनी कम अवधि में नोटिस की तामील होना व राशि की व्यवस्था कर तहसील पूगल में उपस्थित होना, अपीलांट के लिये संभव होना प्रतीत नहीं होता है। उक्त नोटिस की विधिवत तामीली का कोई सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि आज दिनांक तक अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज भूमि है तथा वह बकाया राशि जमा करवाने को तैयार है।


इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2014 पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Allotment of land cancelled due to non deposit of 35% of amount- Special allotment of land u/Rule 13-A- No service of notice upon the petitioner to deposit 35 & amount-Petitioner is ready to deposit amount with interest - Order of allotment is restored conditionally. उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।



अतः उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-05-1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं की गई है एवं अपीलांट 35 प्रतिशत राशि मय ब्याज जमा करवाता है तो नियमानुसार अपीलांट पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21-01-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राम रतन सौंकरिय)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

